न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– रघुनाथ, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या 53/2019 तारीख रजु 18–07–19

उनवान

1–श्यामलाल पुत्र धन्नालाल जाति बैरवा निवासी खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर

–प्रार्थी

बनाम

1–श्योनारायण पुत्र स्व0ओकार जाति बैरवा निवासी खिलचीपुर तहसील सवाई माधोपुर

2–मनभर देवी पत्नी हनुमान जाति बैरवा निवासी खिलचीपुर तहसील सवाई माधोपुर

3–हरकेश पुत्र सांवल्या जाति मीना निवासी खिलचीपुर तहसील सवाई माधोपुर

4–सकार जरिये तहसीलदार स0माधोपुर

–अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री जगदीश प्रसाद शर्मा , वकील प्रार्थी

विषयः– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2)आर0टी0एक्ट बाबत नियुक्त किये जाने रिसीवर

निर्णय

दिनांकः30–01 –20

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2)आरटी एक्ट एक्ट के तहत प्रस्तुत हुआ । प्रस्तुत प्रार्थना में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी सं0 2 के नाम से बिना तकासमा कराए विक्रय पत्र दिनांक 4–8–14 को तस्दीक करवा लिया । विपक्षी सं0 2 के नाम से राजस्व जमाबंदी में इन्द्राज होते ही विपक्षी सं0 2 ने बेनामी सम्पत्ती के आधार पर बिना किसी अधिकार के खसरा नं0 3704 रकबा 0.60है0 पर लट्ठ के जोर पर कब्जा कर लिया । विपक्षी सं0 3 ने बेनामी सम्पत्ति विपक्षी नं0 2 के नाम से खरीद की है । जबकि विपक्षी सं0 2 ग्राम श्यामपुरा की रहने वाली है एवं सन् 2014 से लेकर आदिनांक तक खेतो में आती जाती भी नही देखी ।प्रार्थी ने सभी खातेदारो को पक्षकार बनाते हुए तकासमा हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन प्रतिवादीगणो ने तकासमा हेतु कोई प्रयास नही किया । विपक्षी सं0 3 ने खसरा नं0 3704 के सम्पूर्ण रकवे पर अतिक्रमण करने के साथ साथ प्रार्थी के खेतो की मेडबंदी भी तोड दी है । विपक्षी सं03 मीना जाति के व्यक्ति है धारा 42 के तहत अनुसुचित जाति के सदस्य की भूमि पर सहमति से काश्त करना भी अतिचार की श्रेणी में आने के कारण भूमि ख0नं0 3704 को कब्जेराज लिया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है ।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम खिलचीपुर में स्थित खसरा नंबर 3704 रकबा 0.60 है0 बेनामी सम्पत्ति के आधार पर विपक्षी नं0 2 की आराजीयात कब्जे राज में लिया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को रिसीवर नियुक्त किया जावे ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये । अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

हमने वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित वाकेयात को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजीयात को कब्जे राज में लेने तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर

को रिसीवर नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया । वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र अप्रार्थी नं0 1 श्योनारायण बैरवा ,नाथी पत्नि श्रीराम तथा हरिसिंह पुत्र श्रीराम के पेश हुए जिसमें उन्होने अंकित किया है कि विवादित कृषि भूमि ख0 नं0 3704 रकबा 0.60है0 में से 1/2 हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज है पारिवारिक बंटवारे के अनुसार खसरा नंबर 3704 पर प्रार्थी का ही कब्जा चला आ रहा है । पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2072–73 के खाता संख्या 407 वाके ग्राम खिचलीपुर के अनुसार अप्रार्थी नंबर 2 श्रीमति मनभर देवी पत्नी हनुमान प्रसाद जाति बैरवा साकिन श्यामपुरा के हिस्से की 1/6 भूमि की खातेदारी दर्ज हो रही है । बेनामी सम्पत्ति के आधार पर हरकेश पुत्र सांवल्या मीना ने लट्ठ के जोर पर कब्जा कर रखा है । उक्त खसरा नंबर 3704 को कब्जे राज में लिया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है । इस प्रकार उक्त बयानो से स्पष्ट है कि अप्रार्थी नं0 2 द्वारा जो जाति से बैरवा है ।अवैधानिक रूप से अप्रार्थी नंबर 3 को बेचान कर कब्जा अप्रार्थी नंबर 3 को दे दिया गया है प्रार्थी नंबर 3 द्वारा लट्ठ के जोर पर प्रार्थी के खेतो की मेडबंदी को तोड दिया है जैसाकि प्रार्थना पत्र में अंकित है । अप्रार्थी नंबर 3 मीना जाति का व्यक्ति है । धारा 42 के तहत अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि पर सहमति से कास्त करना भी अतिचार की श्रेणी में आता है । अतः अप्रार्थी नं0 3 के भौतिक कब्जे की भूमि खसरा नंबर 3704 रकबा 0.60 है0 वाके ग्राम खिचलीपुर को कब्जे राज में लिया जाता है तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर को रिसीवर नियुक्त किया जाता है । तहसीलदार सवाई माधोपुर प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद पत्र का निर्णय नही हो जाता तब तक इस भूमि की देखरेख करेंगे तथा कब्जे के संबंध में रिपोर्ट पेश करेंगे । तथा हक काश्त निलामी से प्राप्त आय–व्यय का हिसाब रखेंगे ।

निर्णय आज दिनांकः 30-01–2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रघुनाथ)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raghunath
Date: 2020.02.26 11:49:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: